—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव, (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 19/2024

उनवान

1. सुखपाल पुत्र रामचन्द्र
2. सोबाक पत्नी रामस्वरूप
3. भवंरलाल पुत्र आम्बालाल
4. हंगामा
5. राम सिंह
6. जय सिंह पि. हरका समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रामबाडी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

2. सोबाक पुत्री रामचन्द्र
3. दुर्गा पुत्री रामचन्द्र
4. मीरा पत्नी सांवरलाल समस्त जाति जाट निवासी रामबाडी, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2 से 4 अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण खसरा नम्बर 472 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थीगण को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 436 से 438, 440, 445 से 471 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी एक ह[illegible] अर्थात आस–पास लगती हुयी स्थित है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खाते[illegible] आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 474 रकबा 0.29 का उपयोग [illegible] हेतु रास्ता रिकार्ड में दर्ज है। रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] 463 [illegible] से लगता हुआ है। [illegible] द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:47 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर 472 में से रास्ता चाहा है। किन्तु मौके पर वैकल्पिक व स्थायी रास्ता होने से खसरा नम्बर 472 में से रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ते पर ग्रेवल कार्य भी हो रखा है। प्रार्थीगण को अपनी सुविधा के लिये खसरा नम्बर 472 में से नवीन रास्ता दिया जाना धारा 251 ए की मंशा के विपरित होने से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसारः ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 472 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:47 IST
Reason: SelfAttested